न्यायालय सहायक कलक्टर(एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी–श्री जगदीश सिंह आशिया, आर.ए.एस.

राजस्ववाद संख्या :– 37 / 2021

वादी

वनाम

1. नजीराराम पुत्र मोतीराम
2. अगरीदेवी पत्नि मोतीराम जाति ढाढी निवासी लुखों की ढाणी, होडू तहसील सिणधरी जिला वालोतरा

प्रतिवादीगण

1. अमलाराम पुत्र राणाराम
2. गोरखाराम पुत्र राणाराम
3. नवलाराम पुत्र राणाराम
4. कुम्भाराम पुत्र राणाराम
5. अमानाराम पुत्र राणाराम
6. भंवराराम पुत्र राणाराम
7. आसूराम पुत्र रिड़मलराम जाति ढाढी निवासी लूखों की ढाणी, होडू तहसील सिणधरी जिला वालोतरा
8. तहसील सिणधरी जिला वालोतरा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति–

1. श्री भंवरलाल सारण अधिवक्ता वादीगण की ओर से उपस्थित।
2. प्रतिवादीगण एकतरफा।

निर्णय

दिनांक– 19.06.2024

संक्षिप्त में वादपत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि मौजा– लुखों की ढाणी पटवार क्षेत्र होडू तहसील सिणधरी जिला वालोतरा के खसरा संख्या 1093 रकवा 6.4720 हैक्टेयर भूमि के संवंध मे प्रस्तुत वादपत्र दिनांक 26.05.2022 को प्राथमिक रूप से स्वीकार कर तहसीलदार सिणधरी को मौके पर पक्षकारान का कब्जा काश्त अनुसार वाई मिटस एण्ड वाउण्ड विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु भिजवाने हेतु अधिकृत किया गया था।

तहसीलदार सिणधरी द्वारा आदेश की पालना में न्यायालय द्वारा पारित माफिक प्राथमिक डिक्री अनुसार तहसील सिणधरी में अवस्थित भूमि के मौके का विभाजन प्रस्ताव तैयार कर उपलब्ध करवाया। जिसे वादीगण अधिवक्ता की ओर से विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार भी किया गया।

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

Scanned with OKEN Scanner

लिहाजा वादीगण का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर मौजा [illegible] पटवार क्षेत्र होडू तहसील सिणधरी जिला बालोतरा के खसरा संख्या 1093 रकबा [illegible] भूमि के संबंध मे विभाजन पक्षकारान के मध्य निम्न प्रकार किया जाता है।

क्र. सं.	नाम खातेदार	खसरा नं.	रकबा हैक्टेयर	किस्म	लगान	बरंग
1	नजीराराम पुत्र मोतीराम 2/3 अगरी देवी पत्नि मोतीराम 1/3 जाति ढाढी सा. देह खातेदार	1093	4.3686	बा.सो	—	लाल
2	अमलाराम 4/39 अमानाराम 4/39 कुम्भाराम 4/39 गोरखाराम 4/39 नवलाराम 4/39 भंवराराम 4/39 पि. राणाराम आसुराम पुत्र रिड़मलराम 5/13 जाति ढाढी सा. देह खातेदार	1093	2.1034	बा.सो	—	हरा

तहसीलदार सिणधरी को आदेशित किया जाता है,कि वह उपरोक्तानुसार नामांतरकरण भरकर बाद जांच तस्दीक करें, संलग्न नामांतरकरण की पुश्त पर तरमीम अंकित करे, राजस्व रिकॉर्ड में विधिवत रुप से अमल दरामद की कार्यवाही करें। विभाजन नक्शा इस निर्णय का अभिन्न अंग होगा । डिग्री पर्चा मुर्तिब जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना –अपना वहन करें ।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)सिणधरी

निर्णय आज दिनांक 19.06.2024 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)सिणधरी

Scanned with OKEN Scanner